

सेवा में,

श्रीमान सरपंच साहब

ग्राम पंचायत पंचायत समिति,

विषय :- पट्टा लेने बावत ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मुझे मेरे पुश्तैनी मकान के पट्टे की अतिआवश्यकता है मेरे मकान का पडौस एवं लम्बाई निम्नानुसार है :-

1. तरफ उत्तर लम्बाई एवं पडौस
2. तरफ दक्षिण लम्बाई एवं पडौस
3. तरफ पूर्व लम्बाई एवं पडौस
4. तरफ पश्चिम लम्बाई एवं पडौस

मेरे उक्त मकान का पट्टा देने से ग्रामीणों की आने जाने की सुविधाओ, सुखाचार संबंधी अधिकारों तथा परिक्षेत्र की सुन्दरता व सफाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

अतः निवेदन है कि मुझे उक्त मकान का पट्टा देने की कृपा करे ।

मेरा शपथ पत्र संलग्न है एवं वार्ड पंचो की निरिक्षण रिपोर्ट भी नीचे संलग्न है ।

हस्ताक्षर प्राथी

निरिक्षण रिपोर्ट वार्ड पंच

हमारे द्वारा प्राथी पिता / पति जाति
निवासी तहसील जिला के उक्त मकान का मौका
निरिक्षण किया गया प्राथी को पट्टा देने मे कोई आपत्ति नहीं है । पट्टा देने की सिफारिस की
जाती है

हस्ताक्षर वार्ड पंच

शपथ - पत्र

मैं कि श्री / श्रीमतीपिता / पति
जाति निवासी ग्राम पंचायत पटवार
हल्का आवादी क्षेत्र तहसील जिला राजस्थान
हल्का से बयान करता हूँ कि :-

1. कि ग्राम का निवासी हूँ ।
2. कि मैंने जिस पुराने गृह का विनियमितीकरण के तहत पट्टा हेतु पंचायत से निवेदन किया है यह गृह पंचायत क्षेत्र के ग्राम की आबादी भूमि के खसरा नंबर मे आया हुआ है ।
3. कि इस घर पर मेरा स्वयं का कब्जा है तथा इसको मैंने बटवारे / विरासत / खरीदा हुआ तथा इस पर हमारे परिवार का कब्जा 50 वर्षों से कम / अधिक पुराना है ।
4. कि इस गृह का (पुष्टेनी) भाई बंट कर लिया है अन्य किसी का हक हिस्सा नहीं है इसके लिए मैं ही पूर्ण रूप से जिम्मेदार हूँ ।
5. कि इस गृह के विनियमितिकरण के तहत पट्टा जरी करने हेतु किसी भी नागरिक के सुखाचार व सुविधाओ , सुन्दरता, सफाई के संबधी आधिकार को प्रभावित नहीं करेगा ।
6. की यह मुख्य रेल लाईन सं फिट है, राष्टीय राजमार्ग की मध्य रेखा सेफिट है और जिला सड़को की मध्य रेखा से फिट है । अन्य जिला सड़को की मध्य रेखा से फिट है ।
7. की इस गृह का मैंने /मेरे पिता जी / मेरे भाईयो / विक्रेता में से किसी ने भी पूर्व मे किसी प्रकार का कोई पट्टा जारी नहीं कराया है ।
8. कि यह गृहसमस्त न्यायालय विवादों से रहित है अर्थात इस गृह के संबंध में कोई विवाद न तो न्यायालय मे विचारधीन है और न ही न्यायालय मे चल रहा है ।
- 9.कि इस गृह के संबंध में विवाद होता है तो इसके लिये केवल और केवल मैं ही / मेरा परिवार उत्तरदायी है ।
- 10.कि इस गृह के संबंध मे उपरोक्त कोलम संख्या 1 से 9 लगातार में अंकित होगा सत्य एवं सही है गलत पाया जाता है तो पट्टा निरस्त करने का आधिकार ग्राम पंचायत को होगा ।

इस गृह के पडौंसियो एवं लम्बाई का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

पूर्व :-
पश्चिम :-
उत्तर :-
दक्षिण :-
खसरा नं. किस्म आबादी भूमि है ।

हस्ताक्षर प्राथी

सत्यापन

मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र में अंकित कोलम संख्या 1 से 10 तक लगातार में अंकित होकर पूरे होष हवास में रहकर ग्राम पंचायत को लिखकर देता हूँ । साथ इसमें गलत या दोषी होने पर ग्राम पंचायत को पट्टा निरस्त करने का अधिकार होगा । जिससे मुघे व मेरे परिवार को कोई आपत्ति नहीं होगी ।

हस्ताक्षर प्राथी

हमारे सामने उपरोक्त शपथ पत्र लिखा तथा शपथ पूर्वक प्राथी द्वारा घोषणा की गयी हाउ, साथ ही हमारे ज्ञान के अनुसार यह ग्रह पुष्टेनी /बापोती / खरीदा हुआ है, तथा प्राथी का कब्जा है एवं यह गृह 50 वर्षों से अधिक / कम वर्षों पुराना है । अतः प्राथी को पट्टा देने की सिफारिश हमारे द्वारा की जाती है ।

1. श्री पिता / पति जाति उम्र(65 वर्ष से अधिक) निवासग्राम पंचायत तहसील
जिला राजस्थान

हस्ताक्षर गवाह

2. श्री पिता / पति जाति उम्र
(65 वर्ष से अधिक) निवासग्राम पंचायत तहसील
जिला भरतपुर राजस्थान

हस्ताक्षर गवाह

कार्यालय पटवार मण्डल

तहसील जिला

भूमि किस्म प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है की श्री
पुत्र श्री जाति
निवासीहाल निवासीका पुराना कब्जाशुदा
आवासीय भूखण्ड/मकान जो ग्रामके खसरा न.....
भूमि किस्म आवादी मे स्थित है । तथा इस आवादी भूमि स्थित भूखण्ड/मकान के चारो
दिशाओ के पडौसी निम्न प्रकार है -

पूर्व

पश्चिम

उत्तर

दक्षिण

हस्ताक्षर पटवारी

